



## RBI खरीदेगा सरकारी प्रतभूतियाँ

### संदर्भ

हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक ने टर्किश लक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **खुले बाज़ार परचालन (OMO)** के तहत **120 बिलियन डॉलर** की सरकारी प्रतभूतियों को खरीदने की घोषणा की है।

### महत्त्वपूर्ण बट्टि

- भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा खुले बाज़ार परचालन (OMO) के तहत सरकारी प्रतभूतियों को खरीदना व्यवस्था में लक्विडिटी को बढ़ावा देगा।
- भारत में लक्विडिटी की स्थिति आमतौर पर वित्तीय वर्ष (मध्य अक्टूबर के बाद) के दूसरे छमाही के दौरान मज़बूत हो जाती है।
- लक्विडिटी आवश्यकताएँ दो प्रकार की होती हैं- अस्थायी और टर्किश।

◆ परसिंपत्तियों और देनदारियों के बीच अस्थायी वसिगतियों से अल्प-कालिक या अस्थायी लक्विडिटी उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति से नपिटने के लिये बैंक मुद्रा बाज़ार का इस्तेमाल करते हैं।

◆ एक साल की अवधि में कुल वदेशी संपत्तियों और शुद्ध घरेलू परसिंपत्तियों की संवृद्धि को व्यवस्थित करते हुए दीर्घकालिक या टर्किश लक्विडिटी की आवश्यकता को पूरा किया जाता है।

- ये प्रस्ताव भारतीय रज़िर्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत किये जाएंगे।

### सरकारी प्रतभूतियाँ (G-Sec)

- सरकारी प्रतभूतियाँ (G-Sec) वे सर्वोच्च प्रतभूतियाँ हैं जो भारत सरकार की ओर से रज़िर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा केंद्र/राज्य सरकार के बाज़ार उधार प्रोग्राम के एक भाग के रूप में नीलाम की जाती हैं।
- सरकारी प्रतभूतियों की एक नश्चिती या अस्थायी कूपन दर हो सकती है। इन प्रतभूतियों की गणना बैंकों द्वारा SLR बनाए रखने के लिये की जाती है।
- यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। ऐसी प्रतभूतियाँ अल्पकालिक (आमतौर पर एक वर्ष से भी कम समय की मेच्योरिटी वाली इन प्रतभूतियों को ट्रेजरी बिल कहा जाता है जिसे वर्तमान में तीन रूपों में जारी किया जाता है, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन) या दीर्घकालिक (आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मेच्योरिटी वाली इन प्रतभूतियों को सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतभूतियाँ कहा जाता है) होती हैं।
- भारत में, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतभूतियाँ दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतभूतियों को जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है।

### ई-कुबेर

- यह भारतीय रज़िर्व बैंक का कोर बैंकिंग समाधान है जिसे 2012 में पेश किया गया था।
- कोर बैंकिंग समाधान (CBS) को ऐसे समाधान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बैंकों को एक ही स्थान से 24x7 आधार पर ग्राहक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- इस प्रकार केंद्रीकरण वित्तीय सेवाओं हेतु सुविधा मुहैया कराता है। कोर बैंकिंग समाधान (CBS) का उपयोग करके ग्राहक अपने खातों को किसी भी शाखा से, किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं।
- ई-कुबेर प्रणाली को या तो INFINET या इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। INFINET सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के विशेष उपयोग के लिये क्लोज़्ड यूज़र ग्रुप नेटवर्क है और राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के संचार हेतु रीढ़ की हड्डी है।

